हरि कान्त त्रिपाठी
विशेष सचिव।

अर्धशापत्र सं0-72/1114/84-1-2013सी.पी./05टी.सीं
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनु0-1
लखनऊ दिनॉक 28 अक्टूबर 2013

प्रिय महोदय

कृपया भारत सरकार की नवीनतम् गाइड लाइन्स के अनुसार जिला फोरमों के सुदृढीकरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने विषयक शासन के पत्र सं0-546/84-1-2013-सी.पी.-16/05टी.सी. दिनॉक 17 जून 2013 एवं दिनांक 18 जुलाई 2013 तथा दिनांक 01.08.2013 एवं दिनांक 04.09.2013 को प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि शासन के उक्त पत्रों द्वारा जिला फोरमों के सुदृढीकरण हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में अपेक्षित प्रस्ताव शासन को समयबद्व रूप से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है किन्तु वांछित प्रस्ताव शासन को पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अभीतक उपलब्ध नही हो सके है।

अत: आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार की नवीनतम् गाइड लाइन्स के अनुसार परीक्षणोपरान्त उक्त अपेक्षित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(हरि कान्त त्रिपाठी)

मो0 एम.आर. सिद्दीकी
निबंधक
राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in